संख्या-251/2018/2931/22-2-2017-17(142)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2018***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर उर्फ श्रवण कुमार उर्फ शंकर पुत्र श्री रघुवीर निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-40084/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-22.06.2017) दिनांक 07.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर उर्फ श्रवण कुमार उर्फ शंकर पुत्र श्री रघुवीर, जो ग्राम-पुवांया, थाना-अतरौली, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी ने दहेज में आधा किलो चांदी, बिक्की मोटर साईकिल की मांग पत्नी सुमन के पिता से की थी। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 07.08.1989 को प्रात-09:00 बजे सहअभियुक्त रामकली के साथ मिलकर पत्नी सुमन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-05/1990 में भा0द0वि0 की धारा-498ए 304बी एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 31.05.1991 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.02.2001 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2016 तक 26 वर्ष 00 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 34 वर्ष 01 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दहेज में आधा किलो चांदी, बिक्की मोटर साईकिल की मांग पत्नी सुमन के पिता से की थी। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 07.08.1989 को 01 सहअभियुक्त रामकली के साथ मिलकर पत्नी सुमन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 47 वर्ष लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर उर्फ श्रवण कुमार उर्फ शंकर पुत्र श्री रघुवीर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरिशंकर उर्फ श्रवण कुमार उर्फ शंकर (बन्दी संख्या-13547) पुत्र श्री रघुवीर निवासी जनपद-हरदोई के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-251/2018/2931(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-251/2018/2931/22-2-2017-17(142)/2006

दिनांक 26 मार्च, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर उर्फ श्रवण कुमार उर्फ शंकर पुत्र श्री रघुवीर, जो ग्राम-पुवांया, थाना-अतरौली, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी ने दहेज में आधा किलो चांदी, बिक्की मोटर साईकिल की मांग पत्नी सुमन के पिता से की थी। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 07.08.1989 को प्रात- 09:00 बजे सहअभियुक्त रामकली के साथ मिलकर पत्नी सुमन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-05/1990 में भा0द0वि0 की धारा-498ए 304बी एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 31.05.1991 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.02.2001 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2016 तक 26 वर्ष 00 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 34 वर्ष 01 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दहेज में आधा किलो चांदी, बिक्की मोटर साईकिल की मांग पत्नी सुमन के पिता से की थी। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 07.08.1989 को 01 सहअभियुक्त रामकली के साथ मिलकर पत्नी सुमन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 47 वर्ष लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर उर्फ श्रवण कुमार उर्फ शंकर पुत्र श्री रघुवीर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in